न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 20/2020

दिनांकः– 19.04.2021

अनवान

बद्रीलाल पिता रामा जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज.

-----प्रार्थी

बनाम

1. भोलीराम पिता हेमराज जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
2. प्रकाश पिता हेमराज जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः–

1. यह ग्राम नील का खेडा पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की खाता संख्या 18 पर दर्ज आराजी नम्बर 215 रकबा 1.20 हैक्टर प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2072–75 एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजी नं0 215 रकबा 1.20 हैक्टर कृषि भूमि पर आने जाने के लिए विपक्षी सं0 1 एवं 02 की ग्राम नील का खेडा में स्थित खाता स... ...र दर्ज आराजी नं0 214 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि में से होकर आता जाता रहा और इसी कदमी रास्ते से अपने ट्रेक्टर बेलगाडी मवेशी आदि लाता ले जाता रहा है इस रास्ते की अलावा प्रार्थी के पास उक्त आराजीयात पर पहुँचने का और कोई वैकल्पिक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

उपलब्ध नहीं है। लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षी सं0 1 एवं 2 पिछले एक माह से उसकी आराजी नं0 214 में से आने जाने पर पाबंदी लगा दी है तथा प्रार्थी द्वारा इस रास्ते से गुजरने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है इसलिए विपक्षी सं0 1 व 2 की आराजी नं0 214 भूमि में से प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने हेतु राज्य सरकार के मापदण्डानुसार रास्ता कायम कराकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना न्यायहित में आवश्यक है प्रार्थी वर्तमान में राजस्थान सरकार प्रस्तावित रास्ते के जमीन की कीमत डीएलसी दर से विपक्षी सं0 01 एवं 02 को अदा करने को तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम सं0 01 में वर्णित आराजी नं0 215 रकबा 1.20 हैक्टर कृषि भूमि पर आने जाने के लिए विपक्षी सं0 1 व 02 की आराजी नं0 214 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि में से रास्ता कायम करा राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बावजूद सूचना विपक्षीगण को तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षीगणी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।न्याय निर्णय में सहयोग हेतु मौका एवं रेकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिया जाना उचित होने से तहसीलदार भदेसर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जा कर रिपोर्ट तलब की गई।

पेरोकार सरकार एवं कमीश्नर तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम नील का खेडा की आराजी नं0 215 रकबा 1.20 हैक्टर भूमि पर पहुँच मार्ग हेतु आराजी नं0 214 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि जो कि चंपा बाई पुत्री हेमराज हिस्सा 1/3 प्रकाश पुत्र हेमराज हिस्सा 1/3 भोलीराम पिता हेमराज हिस्सा 1/3 जाति बलाई निवासी रेवलिया खुर्द दर्ज रेकार्ड है। आराजी नं0 215 पर आवागमन हेतु वर्तमान में रास्ता बंद होकर मौके पर पडत [illegible] कर नक्शे में रास्ता अंकित नहीं है।मौके पर 4X42 वर्गमीटर यानि 168 वर्गमीटर रास्ता की बनती है। आराजी नं0 214 के अलावा निकटतम मार्ग वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं है एवं आराजी नं0 215 पर पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। अतः आराजी नं0 215 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

आवागमन हेतु आराजी नं0 214 में से 168 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित है।

बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा पास में विपक्षी सं0 01 व 2 की कृषि आराजी नं 214 रकबा 0.24 हैक्टर है। उक्त आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। क्योंकि विपक्षी सं0 01 व 2 की कृषि आराजीयात में कदमी रास्ता होने के कारण विपक्षी सं0 1 एवं 02 द्वारा उक्त रास्ते पर प्रार्थी के आने जाने की पाबंदी लगा दी है जिस कारण प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात पर आने–जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिये आराजी नं0 214 रकबा 0.24 हैक्टर में प्रार्थी की अराजी तक रास्ता दर्ज की दिया जावेगा जो सार्वजनिक उपयोग में रहेगा। उक्त दिया जाने वाला रास्ता रास्ते के रूप में सरकारी दर्ज रहेगा जिस पर हम किसी का मालिकाना हक कब्जा नहीं रहेगा। उक्त रास्ता सार्वजनिक हित का होकर सभी के लिये उपयोगी रहेगा। इसलिये आराजी नं0 214 रकबा 0.224 हैक्टर में प्रार्थी की आराजी तक रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 215 पर पहुंच मार्ग हेतु रिकोर्डेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से आराजी नम्बर 214 में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है। और उक्त रास्ते की दाद वाली आराजी नं0 214 जो कि विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजीयात है उसमे से यदि 4X42 वर्गमीटर यानि 168 वर्गमीटर का रास्ता दर्ज किया जाता है तो सभी के लिये उपयोगी रहेगा और रास्ता भी सरकारी खाते में दर्ज रहेगा ऐसी स्थिति में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:32 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम नील का खेडा पटवार हल्का रेवलिया खुर्द की आराजी नं 215 रकबा 1.20 हैक्टैयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण की आराजी नं0 214 में से 4X42 वर्गमीटर यानि 168 वर्गमीटर प्रार्थी के आराजीयात तक पहुँचने तक रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।
2. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि 4X42 वर्गमीटर यानि 168 वर्गमीटर की डीएलसी राशि नियमानुसार जमा कराई जाने के उपरांत ही भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested